बुरहानपुर भास्कर

खंडवा | शनिवार, 09 मार्च, 2019 नेपानगर • शाहपुर • धूलकोट निंबोला • ईदतलाई • खकनार dainikbhaskar.com

तीन साल की बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को दोहरी फांसी की सजा | चालान पेश होने के 172 दिन में फैसला, 25 पेशी, 56 से ज्यादा लोगों की गवाही

गवाहों ने अदालत में बताया आरोपी मवेशियों के साथ भी करता था कुकृत्य, भास्कर स्टैंड...तभी बेनकाब कर देते तो बच जाती मासूम

अपील: समाज में आरोपी की तरह विकृत मानसिकता के लोग दिखें तो उनके किसी कृत्य को छोटा समझकर नजरंदाज न करें, क्योंकि ऐसा करना बड़े अपराध को जन्म देगा

अदालत ने कहा- आरोपी गैंग्रीन रोग की तरह, इसे काट कर समाज से अलग करना जरूरी

फैसला सुनाते हुए अदालत ने सख्त टिप्पणी भी की और कहा- आरोपी समाज में गैंग्रीन रोग की तरह है। जिस तरह डॉक्टर व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए शरीर के उस भाग को ऑपरेशन कर पृथक कर देते हैं, उसी प्रकार से समाज को बचाने के लिए ऐसे अपराधी को समाज से उसी तरह पृथक करने का दायित्व न्यायालय का है। ऐसा अपराधी समाज विरुद्ध है। [illegible] ऐसे अपराध में अभियुक्त के प्रति किसी प्रकार से नरमी नहीं बरतकर उसे अधिकतम दंड दिया जाना सही है।

भास्कर संवाददाता | बुरहानपुर

15 अगस्त 2018 को [illegible] तीन साल की बालिका का अपहरण, दुष्कर्म और हत्या करने का आरोपी विजय उर्फ पिंटू पिता [illegible] विकृत मानसिकता [illegible] आरोपी विजय बालिका को चॉकलेट का लालच देकर साथ ले गया था और दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी। जांच में विजय के घर से पुलिस को 28 पन्नों की एक डायरी भी मिली थी। इस पर 'कामदेव की जय' लिखा था। डायरी के पन्नों पर महिलाओं को वश में करने के तंत्र-मंत्र लिखे थे। डायरी के साथ ही पुलिस को तंत्र-मंत्र सिखाने वाली पत्रिका भी मिली थी।

महिलाओं से छेड़छाड़, पशुओं से भी किया कुकृत्य

विकृत मानसिकता का विजय आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता था। यही नहीं वह अपनी वासना पूरी करने के लिए गाय सहित अन्य पशुओं के साथ भी कुकृत्य करता था। अदालत में गवाहों ने अपने बयानों में इस बात की पुष्टि भी की है।

दो शादियां, पहली पत्नी से तलाक, दूसरी छोड़ गई

पुलिस जांच में यह भी पता चला था कि आरोपी विजय की दो शादियां हुई थी। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण पहली पत्नी ने तलाक ले लिया। वहीं घटना से चार महीने पहले दूसरी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी।

आरोपी के पास मिली 28 पन्नों की डायरी, लिखा था 'कामदेव की जय'

अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को ले जाती पुलिस। (फाइल फोटो)

खड़कोद में मर्डर केस में हुई थी फांसी, जिले में दूसरी बार ऐसी सजा

जिले में किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाने का यह दूसरा फैसला है। हालांकि पॉक्सो एक्ट में फांसी की यह पहली सजा सुनाई गई है। इससे पहले खड़कोद में महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी [illegible] को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उसकी सजा को उम्रकैद में बदल दिया।

आरोपी को इन धाराओं में सुनाई सजा

न्यायालय ने आरोपी को धारा 376(क)(ख) (दंड विधि संशोधन अध्यादेश 2018) की धारा 42 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही धारा 363 में 7 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 366 में 10 वर्ष सश्रम कारावास, 376(2)(एम) में आजीवन कारावास, धारा 5(1)(के)(एम)(आर) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन सश्रम कारावास और धारा 201 में 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सभी धाराओं में दो-दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने आरोपी को मरते दम तक फांसी के फंदे पर लटकाने का आदेश दिया है।

बालिका का शव निकालकर कराई थी डीएनए जांच

विजय के कपड़ों और गाल पर खरोंच के निशान भी मिले थे। डॉक्टर ने खरोंच के निशान नाखून से होना बताया। पुलिस ने बालिका का दफन शव [illegible] अगस्त को निकलवाया। नाखून जांच के लिए भेजे। आरोपी के कपड़ों पर भी खून के निशान थे। डीएनए जांच में पुष्टि हुई।

बालिका के नहीं मिलने पर मंदिर-मस्जिद से हुआ था अनाउंसमेंट

15 अगस्त की सुबह बालिका के लापता होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। परिजन सहित ग्रामीण उसे ढूंढने निकले। उसे तलाशने के लिए गांव के मंदिर और मस्जिद से भी अनाउंसमेंट कराया गया। घटना के तीसरे दिन 18 अगस्त को गांव के [illegible] नाले के पास झाड़ियों में [illegible] लिपटा बालिका का शव ग्रामीणों ने देखा था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी थी।

पूरा घटनाक्रम एक नजर में

15 अगस्त 2018: [illegible] की घटना, बालिका को आंगन से उठाकर ले गया था आरोपी।

20 सितंबर 2018: कोर्ट में चालान पेश, 25 से ज्यादा पेशी, 56 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज

23 अगस्त 2018: चॉकलेट देकर आंगन से उठाया था बालिका को, चेहरे पर नाखून के निशान से पकड़ाया आरोपी।

पेशी में कुछ दिन तो आरोपी के माता-पिता आए, बाद में कोई नहीं [illegible] थी- वकीलों ने आरोपी का केस लड़ने से इनकार कर दिया। विधिक सहायता के रूप में न्यायालय ने उपलब्ध कराया वकील।

सजा सुनने के बाद दुष्कर्मी के चेहरे पर नजर आया पछतावा

न्यायालय ने खंडवा जेल में बंद आरोपी विजय को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई। अतिरिक्त लोक अभियोजक [illegible] ने बताया सजा के बाद उसके चेहरे पर पछतावा था।

चालान पेश होने के 172 दिन में अदालत ने सुनाया फैसला

आरोपी के खिलाफ चालान पेश होने के 172 दिन में अदालत ने फैसला सुनाया है। मामला लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 विशेष न्यायाधीश [illegible] की अदालत में चल रहा था। 20 सितंबर 2018 को पुलिस ने चालान पेश किया था। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक [illegible] और अतिरिक्त लोक अभियोजक [illegible] ने की।

सबूत मिटे पर पुलिस तत्पर रही

फांसी की सजा पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि

ऐसे अपराधों में फांसी की सजा मिलना पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। पुलिस की पूरी टीम ने पहले दिन से ही पूरी तत्परता से काम कर सबूत जुटाए। [illegible] टेक्निकल सबूतों को जुटा कर उन्हें कोर्ट में सही तरीके से प्रस्तुत किया। पूरे मामले की मॉनिटरिंग की गई। ऐसे फैसलों से समाज में आपराधिक तत्वों में भय होगा और वह अपराध करने से डरेंगे।

-अजय सिंह, एसपी बुरहानपुर

बारिश के कारण काफी सबूत मिट गए थे

बालिका का शव मिलने के समय बारिश हो रही थी। इससे काफी सबूत मिट गए थे। सबूत जुटाने में पुलिस टीम को काफी मेहनत करना पड़ी। सभी विवेचक और [illegible] टीम द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला दिया है। इससे समाज में संदेश जाएगा कि कोई भी व्यक्ति इस तरह के जघन्य अपराध कर बच नहीं सकता।

-पंकज श्रीवास्तव, [illegible] एसपी बुरहानपुर